भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 648

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भंडारण क्षमता

648. श्रीमती पूनम महाजन:

कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा निर्मित गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है और वर्तमान में उनमें राज्य-वार कितना खाद्यान्न भंडारित है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान खुले में रखे गए खाद्यान्नों की टन-वार मात्रा कितनी है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितना खाद्यान्न खराब हुआ;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2017 में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत 100 लाख टन क्षमता वाले इस्पाती साइलो के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत शामिल निजी क्षेत्र की संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, इस पर कुल कितना व्यय किया गया है और किए गए कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ड.) यदि हां, तो इस लक्ष्य को अब तक कितना प्राप्त कर लिया गया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): दिनांक 01.11.2023 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास स्वामित्व वाले 147.49 लाख टन की क्षमता के 564 गोदाम हैं। राज्य-वार क्षमता और स्टॉक की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय खादय निगम कैप (कवर और प्लिंथ) में भंडारित खाद्यान्न की मात्रा निम्नानुसार दी गई है:

वर्ष 2018-19 से 01 जुलाई की स्थिति के अनुसार कुल कैप की स्थिति:-

वर्ष	के अनुसार, स्टॉक की स्थिति	केन्द्रीय पूल में स्टॉक (कैप) (आंकड़े लाख टन में)		
		एफसीआई	राज्य एजेंसी	कुल
2018-19	1 जुलाई, 2019	8.48	145.38	153.86
2019-20	1 जुलाई, 2020	13.55	166.87	180.42
2020-21	1 जुलाई, 2021	19.67	141.52	161.19
2021-22	1 जुलाई, 2022	7.86	11.26	19.12
2022-23	1 जुलाई, 2023	0.21	4.29	4.50

...2/-

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान एफसीआई कैप में भंडारित गेहूं का कोई भी स्टॉक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है।

कैप, जिसका उपयोग गेहूं की अल्प मात्रा के लिए पारेषण भंडारण के रूप में किया जाता था, को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिससे कोई भी गुणवत्ता संबंधी समस्या की संभावना समाप्त हो गई है।

(ग) से (ङ): भंडारण सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए, भारत सरकार ने देश में पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड पर स्टील साइलो के निर्माण के लिए कार्य योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अंतर्गत, 14.75 लाख टन की क्षमता वाले साइलो पूरे कर लिए गए हैं, स्थान-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, 7 स्थानों पर 5.5 लाख टन क्षमता के साइलो (विवरण **अनुबंध-III** में दिए गया है) का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और परिपथ (सर्किट) आधारित मॉडल के अंतर्गत वर्ष 2007-09 में इन्हें उपयोग में रखा गया है।

इसके अलावा, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत पीपीपी मोड में साइलो क्षमता को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। चरण-I में भारतीय खाद्य निगम की अपनी भूमि पर 14 स्थानों पर 10.125 लाख टन के लिए निविदाएं डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन, हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मोड में प्रदान की गई हैं और निजी भूमि पर 66 स्थानों पर 24.75 लाख टन के लिए निविदाएं डिजाइन, निर्माण, वित्त, ओन एंड ऑपरेट (डीबीएफओओ) मोड में प्रदान की गई हैं। हब एंड स्पोक मॉडल के चरण-II में, निजी भूमि डीबीएफओओ मोड पर 18 बंडलों में 66 स्थानों पर 30.75 लाख टन के लिए निविदाओं की तकनीकी जांच की जा रही है।

इस योजना में शामिल निजी क्षेत्र की निकायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. मैसर्स वीआरसी साइलो प्राइवेट लिमिटेड।
2. मैसर्स बाला श्री स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड।
3. मैसर्स एनसीएमएल।
4. मैसर्स सूरत गुड्स प्राइवेट लिमिटेड।
5. मैसर्स अडानी एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड।
6. मैसर्स यूनीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।
7. मैसर्स लीप एग्री फूड एवं लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड।
8. मैसर्स करन भूषण सरण सिंह।
9. मैसर्स केसीसी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड।
10. मैसर्स मैराथन रीयलटी प्राइवेट लिमिटेड।

इन सभी साइलो का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर किया जाता है/किया जाना है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूंजीगत व्यय का वहन नहीं किया जाएगा।

*****

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 648 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

01.11.2023 की स्थिति के अनुसार एफसीआई के स्वामित्व वाले डिपो की भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	डिपो की संख्या	भंडारण क्षमता	एफसीआई के पास स्टॉक
1	Bihar/बिहार	11	4.07	2.31
2	Jharkhand/झारखण्ड	6	0.79	0.45
3	Odisha/उड़ीसा	19	3.65	1.84
4	West Bengal/पं.बंगाल	22	9.53	6.51
5	Sikkim/सिक्किम	1	0.11	0.11
कुल पूर्वी क्षेत्र		59	18.15	11.22
6	Assam/असम	21	3.74	2.77
7	Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश	13	0.40	0.33
8	Meghalya/मेघालय	9	0.20	0.15
9	Mizoram/मिजोरम	5	0.32	0.24
10	Tripura/त्रिपुरा	4	0.44	0.31
11	Manipur/मणिपुर	6	0.65	0.32
12	Nagaland/नागालैंड	5	0.42	0.34
कुल उत्तर पूर्व क्षेत्र		63	6.15	4.46
13	Delhi/दिल्ली	6	3.28	2.82
14	Haryana/हरियाणा	35	8.75	6.57
15	Himachal Pradesh/हिमाचल प्रदेश	8	0.26	0.20
16	Jammu & Kashmir/जम्मू एवं कश्मीर	12	0.95	0.64
17	Ladakh/लद्दाख	4	0.25	0.22
18	Punjab/पंजाब	121	27.17	17.09
19	Chandigarh/चंडीगढ़	0	0	0.00
20	Rajashthan/राजस्थान	36	8.39	6.59
21	Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश	48	15.68	8.52
22	Uttarkhand/उत्तराखंड	4	0.73	0.63
कुल उत्तरी क्षेत्र		274	65.46	43.28
23	Andhra Pradesh/आंध्र प्रदेश	23	8.64	6.03
24	Andeman & Nico./अंडमान एवं निकोबार	1	0.07	0.07
25	Telangana/तेलंगाना	21	6.68	4.20
26	Kerela/केरल	1	5.89	5.29
27	Karnatka/कर्नाटक	23	4.61	3.80
28	Lakshadweep/लक्षद्वीप	10	0.03	0.02
29	Tamilnadu/तमिलनाडु	4	6.46	5.80
30	Puducherry/पदुचेरी	11	0.51	0.39
कुल दक्षिण क्षेत्र		94	32.88	25.60
31	Gujrat/गुजरात	21	4.93	4.62
32	D&NH and D&D/दमन एवं दीव	14	0	0
33	Maharashtra/महाराष्ट्र	0	9.23	7.23
34	Goa/गोवा	25	0.19	0.15
35	Madhya Pradesh/मध्यप्रदेश	13	4.18	3.16
36	Chattisgarh/छत्तीसगढ़	1	6.32	4.00
कुल पश्चिम क्षेत्र		74	24.85	19.16
सकल योग		564	147.49	103.72

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 648 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पूर्ण और उपयोग में रखे गए साइलो की स्थान-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थान	एजेंसी (एफसीआई/राज्य सरकार)	क्षमता (लाख टन में)	मोड (वीजीएफ/ गैर-वीजीएफ)	पूर्ण होने की तारीख
1	पंजाब	कोटकपुरा	एफसीआई	0.25	वीजीएफ	04.11.2018
2	पंजाब	बरनाला	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ	12.03.2020
3	पंजाब	पटियाला	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ	14.09.2020
4	पंजाब	संगरूर*	एफसीआई	1.00*	गैर-वीजीएफ	14.05.2020
5	हरियाणा	भट्टू	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ	07.09.2020
6	हरियाणा	जींद	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ	14.06.2020
7	हरियाणा	सोनीपत	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ	31.12.2020
8	हरियाणा	पानीपत*	एफसीआई	0.50*	गैर-वीजीएफ	13.04.2022
9	गुजरात	अहमदाबाद	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ	17.06.2020
10	बिहार	कटिहार	एफसीआई	0.50	वीजीएफ	11.04.2020
11	असम	चांगसारी	एफसीआई	0.50	वीजीएफ	10.09.2020
12	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ	16.07.2022
13	उत्तर प्रदेश	धमोरा	एफसीआई	0.50	वीजीएफ	15.06.2022
14	मध्य प्रदेश	हरदा	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
15	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
16	मध्य प्रदेश	देवास	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
17	मध्य प्रदेश	सतना	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
18	मध्य प्रदेश	सीहोर	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
19	मध्य प्रदेश	उज्जैन	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
20	मध्य प्रदेश	विदिशा	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
21	मध्य प्रदेश	भोपाल	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
22	मध्य प्रदेश	इंदौर	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
23	पंजाब	सुनाम	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
24	पंजाब	मलेरकोटला	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
25	पंजाब	अहमदगढ़	राज्य सरकार	0.50	वीजीएफ	2017-18
26	हरियाणा	रोहतक	एफसीआई	0.50	गैर वीजीएफ	02.05.2023
27	पंजाब	बटाला*	एफसीआई	0.50	गैर वीजीएफ	24.03.2023
28	पंजाब	छेहरेटा*	एफसीआई	0.50	गैर वीजीएफ	24.03.2023
29	गुजरात	अमरेली	एफसीआई	0.50	गैर वीजीएफ	18.10.2023
	कुल			**14.75**		

* रेलवे साइडिंग के बिना परिचालन शुरू हो गया है।

*****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 648 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

2007-09 में स्थापित सर्किट आधारित मॉडल:

क्र. सं.	राज्य	स्थान	क्षमता (लाख टन में)	डिपो का प्रकार	सर्किट
1	पंजाब	मोगा	2.00	आधार	सर्किट-I
2	तमिलनाडु	चेन्नई	0.25	फील्ड	
3	तमिलनाडु	कोयंबटूर	0.25	फील्ड	
4	कर्नाटक	बैंग्लोर	0.25	फील्ड	
5	हरियाणा	कैथल	2.00	आधार	सर्किट-II
6	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	0.50	फील्ड	
7	पश्चिम बंगाल	हुगली	0.25	फील्ड	
कुल			**5.50**		

*****